e-Gov.24

मध्य प्रदेश शासन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

क्रमांक/एफ-3-1/2015/41-2 भोपाल, दिनांक 20/08/2015

प्रति,

1. संभागायुक्त
   समस्त, मध्य प्रदेश।
2. कलेक्टर
   समस्त, मध्य प्रदेश।

विषय:- प्रदेश में आधार पंजीयन को प्रभावशाली बनाने हेतु रणनीति बावत।

संदर्भ:- विभाग के पत्र क्रमांक एफ-3-1/2015/41-2 दिनांक 10.06.2015 (e-Gov.19) एवं दिनांक 07.08.2015 (e-Gov.23).

1. आधार पंजीयन की प्रक्रिया : -

आधार पंजीयन SR (स्टेट रजिस्ट्रार) एवं NSR (नॉन स्टेट रजिस्ट्रार) द्वारा ही किया जाता है। प्रत्येक EA द्वारा UIDAI प्रशिक्षित कम्प्युटर ऑपरेटर के माध्यम से पंजीयन हेतु निर्धारित उपकरण/सामग्री के साथ जिलों में पंजीयन हेतु उपलब्ध कराया जाता है।

प्रत्येक जिले में PEC (Permanent Enrolment Centre) के रूप में इन ऑपरेटरों को प्रतिष्ठित कर एक ही जगह से आधार पंजीयन किया जाता है। जिलों द्वारा आवश्यकता अनुसार जनपद/ ग्राम पंचायत/ अन्य शासकीय स्थानों पर कैंप आयोजित किये जाकर उपलब्ध आपरेटरों के माध्यम से जिले में उपलब्ध समस्त नागरिकों का आधार पंजीयन किया जाना है।

2. पंजीयन की रणनीति :-

जिलो में संचालित समस्त आधार पंजीयक EA के द्वारा स्थापित की गई स्टेशन वार (ऑपरेटर वार) जानकारी निम्न प्रारूप अनुसार प्राप्त कर पंजीयन करावें।

EA का नाम :- ....(SR/NSR)

राज्य स्तरीय प्रबंधक का नाम...फोन नं. ....

जिला स्तरीय प्रबंधक का नाम.. फोन नं ....

क्रमांक	ऑपरेटर का नाम	संपर्क पता	फोन/मोबाइल नं.	EA कोड	मशीन कोड	ई-मेल आईडी	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8